उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 का कार्यवृत्त

मा0 आवास मंत्री/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण) की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2020 को 13वीं बोर्ड बैठक राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में आयोजित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, आवास, शहरी विकास/मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री सुनीलश्री पांथरी, अपर सचिव, आवास/अपर मुख्य प्रशासक, उडा।
4. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री आनन्द सिंह, वित्त नियंत्रक, उडा।
8. श्री राजकुमार, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग।
9. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा/उपाध्यक्ष, जि0स्त0वि0प्रा0 ऊधमसिंह नगर।
3. श्री एन0एस0 रावत, मुख्य अभियन्ता, उडा।
4. श्री सर्वेश मित्तल, प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, उडा।
5. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उडा।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 13वीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें 12वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत विषयों पर निम्नानुसार निर्देशित किया गयाः–

1. विषय क्रमांक–02 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभागों से वार्ता कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभियन्तागणों की तैनाती किये जाने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय। उक्त पर शासन स्तर से भी अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।
2. विषय क्रमांक–03 पर उल्लिखित बिन्दु पर उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा रूद्रपुर आवासीय योजना की प्रगति से अवगत कराया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. विषय क्रमांक–04 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु एकरूपता लाये जाने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जाय।

4. विषय क्रमांक–05 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि मास्टर प्लान में प्रदर्शित ट्रक टर्मिनल भू–उपयोग हेतु प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के साथ बैठक आयोजित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
5. विषय क्रमांक–06 पर बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 विधान सभा समिति की संस्तुति शासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन स्तर पर इस प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान है।
6. विषय क्रमांक–07 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण किये जाने हेतु विभिन्न मानकों में परिवर्तन आवश्यक है, इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

   उक्त के अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये कि पूर्व में भवन मानकों के अन्तर्गत सामूहिक आवासों हेतु एफ0ए0आर0 कम किये जाने के प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो एफ0ए0आर0 भवन निर्माण उपविधि मानकों में संशोधन से पूर्व निर्धारित थे, उनको वर्तमान में भी पूर्व की भांति रखा जाय और ग्रीन बिल्डिंग हेतु अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का प्राविधान भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

उपरोक्त निर्णय के उपरान्त 13वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया और निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

क्रमांक–01

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट के सम्बन्ध में।

निर्णय– वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्यय के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त राज्य प्राधिकरण की आय धनराशि रू0 3394.35 लाख (रूपये तैतीस करोड़ चौरानवे लाख पैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 2453.36 लाख (रूपये चोबीस करोड़ तिरपन लाख छत्तीस हजार मात्र) का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अपर सचिव, वित्त महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि बैठक में राज्य प्राधिकरण की Balance Sheet भी प्रस्तुत की जा सकती है। इस सुझाव को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी बोर्ड बैठकों में गत वर्षों की Balance Sheet बोर्ड हेतु अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जाय।

क्रमांक–02

विषयः– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु विकसित किये जा रहे एकीकृत जनरल सर्विसेज मैनेजमेन्ट सोल्यूशन की प्रगति के सम्बन्ध में।

निर्णय– प्रश्नगत प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अवलोकन कर निर्देश दिये गये कि एकीकृत जनरल सर्विसेज मैनेजमेन्ट सोल्यूशन को समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाय। बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में आई0टी0 के कार्यों हेतु कार्मिक तैनात नहीं है, जिसके कारण एकीकृत जनरल सर्विसेज मैनेजमेन्ट सोल्यूशन के अन्तर्गत प्रथम चरण में ऑनलाइन मैप अप्रुवल सिस्टम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस आधार पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर एकीकृत जनरल सर्विसेज

मैनेजमेन्ट सोल्यूशन का प्रभावी क्रियान्वयन व समस्त प्राधिकरणों में ई–ऑफिस के माध्यम से संचालन प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत, आई0टी0 से भिज्ञ कार्मिकों की तैनाती उपनल के माध्यम से किये जाने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाय।

क्रमांक–03

विषयः– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में संविदा आधार पर तैनात कार्मिकों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– प्रश्नगत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य प्राधिकरण में तैनात संविदा कार्मिकों की निरन्तरता हेतु पूर्व में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। यह संविदा कार्मिक शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)2018–30(12)/2018, दिनांक 27.04.2018 को निर्गत होने के पूर्व से ही निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तैनात किये गये हैं और उक्त शासनादेश के उपरान्त इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। इस प्रकरण पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि तैनात कार्मिकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमांक–04

विषयः– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में।

निर्णयः– प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 विधान सभा की गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी है। शासन से अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने अनुरोध किया जाय।

क्रमांक–05

विषयः– रूड़की एवं गैरसैण महायोजना निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय– बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण का पुनः तकनीकी स्तर से परीक्षण कराते हुए रूड़की एवं गैरसैंण विकास क्षेत्र की महायोजना निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध में इंगित अवधि में समयावृद्धि किये जाने की तिथि से रूड़की हेतु 09 माह एवं गैरसैंण हेतु 195 दिवस की समयावृद्धि दिये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अपर मुख्य प्रशासक, उडा को प्रकरण पर विश्लेषण करते हुए सचिव आवास के माध्यम से मा0 अध्यक्ष को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

क्रमांक–06

विषयः– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के बजट का अनुमोदन राज्य प्राधिकरण स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– प्रश्नगत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शासन स्तर से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु बजट प्राप्त होने के पश्चात ही राज्य प्राधिकरण के माध्यम से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमांक–07

विषयः– सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय– बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–152/XXX(2)/2020/3(1)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को निर्गत किया गया है। शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स के पदों पर कार्मिकों की तैनाती किये जाने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित पत्रावली मा0 अध्यक्ष महोदय को पुनः प्रेषित की जाय।

बैठक में उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो प्राधिकरण सीमान्तर्गत हैं किन्तु सिडकुल के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, में मानचित्र स्वीकृति शुल्क की दरें सीडा की दरों से अधिक हैं जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के साथ बैठक आयोजित कर विचार–विमर्श करते हुए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क की दरों का पुनर्निरीक्षण कर, प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य एवं अधिकारीगणों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(शैलेश बगौली)
मुख्य प्रशासक।

संख्या– 1781/उडा–24(4)/बोर्ड बैठक/2020–21, दिनांक– 05.1.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/मा0 अध्यक्ष, उडा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त/सचिव, पर्यटन/सचिव, उद्योग/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य प्रशासक, उडा।
7. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा, कुमाऊँ परिक्षेत्र, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
8. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10. बैठक में उपस्थित मा0 सदस्य एवं अधिकारीगण।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।